संख्याः सीडब्ल्यूसी / एमआईएस – डब्ल्यूएमएस (रोलआउट) / 2017 – 18 दिनांक 15.06.2020

परिपत्र

1. डिजीटलीकरण को पूर्ण करने की दिशा में प्रबंधन के विजन तथा मंत्रालय के निर्देशानुसार निगम आईटी डोमेन में बड़े स्तर पर अपने परिचालनों का विस्तार कर रहा है। आईटी प्रोजेक्ट जैसे – ई – ऑफिस, डब्ल्यूएमएस, एचआरएमएस, टैली, आईसीडी / सीएफएस / आईसीपी साफ्टवेयर, सीसीटीवी आदि के माध्यम से निगम के सभी प्रचालन कार्य समय पर किए जा रहे हैं तथा नियमित आधार पर इनमें सुधार किया जा रहा है और निगमित कार्यालय सहित अखिल भारतीय स्तर पर वेअरहाउसों एवं क्षेत्रीय कार्यालय का डिजीटलीकरण शीघ्रता से किया जा रहा है।

2. आईटी के प्रयोग में वृद्धि डिजीटलीकरण के वर्तमान परिदृश्य में तेजी लाती है इसलिए आईटी को अपनाना समय की आवश्यकता है। आईटी न केवल परिचालन क्षमता के लिए जरूरी है बल्कि यह किसी भी कंपनी के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी तेज करती है और सफलता के लिए मार्केट की निरंतर बदलती गतिशीलता और वैश्विक रुझानों पर शीघ्र प्रतिक्रिया देने में सहायता करती है।

3. मंत्रालय निगम की आईटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की इतनी बारीकी से निगरानी कर रहा है कि इसके लिए सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग को डब्ल्यूएमएस डैशबोर्ड प्रदान किया गया है। यह डैशबोर्ड अखिल भारतीय स्तर पर वेअरहाउसों में भंडारित केंद्रीय – पूल स्टॉक का लाइव स्टेटस दिखाता है। अतः सभी साफ्टवेयर्स का नियमित रूप से उपयोग आवश्यक है।

4. वर्तमान डिजीटल वैश्विक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने और भंडारण एवं पीसीएस के क्षेत्रों में एक अग्रणी के रूप में निगम की उपस्थिति बनाए रखने के उद्देश्य से आईटी परियोजनाओं का उपयोग एवं समय से कार्यान्वयन अत्यंत आवश्यक है।

5. तथापि, हमारे ध्यान में यह आया है कि एमआईएस विभाग की सहमति / पुनरीक्षण किए बिना ही निगमित कार्यालय / क्षेत्रीय कार्यालयों के विभाग आईटी डोमेन जैसे– ई–ऑफिस, डब्ल्यूएमएस, एचआरएमएस, टैली, आईसीडी / सीएफएस / आईसीपी सॉफ्टवेयर, सीसीटीवी आदि में अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं और वेंडर को आईटी संबंधी मामलों पर निदेश जारी कर रहे हैं।

6. यह भी देखा गया है कि निगमित कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों के विभाग एमआईएस विभाग को नजरअंदाज कर रहे हैं जो एक सही प्रक्रिया नहीं है और इससे आईटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में समस्याएं / विलंब होता है।

7. अतः निगम के हित में इस तरह की प्रक्रिया तुरंत रोकी जानी चाहिए एवं आईटी के सुचारू रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु सभी हितधारकों जैसे – निगमित कार्यालय / क्षेत्रीय कार्यालयों के विभागों को एक–दूसरे से जुड़े रहना चाहिए यही समय की आवश्यकता है।

8. तथापि, इंस्टालेशन, पेमेंट टर्म्स, लिक्वीडेटेड डेमेज्स आदि से संबंधित मामलों जिसमें तकनीकी पुनरीक्षण / अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है तथा सीसीटीवी सर्विलांस प्रणाली, आईसीडी / सीएफएस, आईसीपी सॉफ्टवेयर, ईएलडब्ल्यूबी एएमसी और डब्ल्यूएमएस के साथ इंटीग्रेशन, लैपटॉप, इंटरनेट, कंप्यूटर सामग्री आदि से संबंधित मामले जो वेअरहाउस / क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यान्वित किए जा रहे हैं / हो चुके हैं ऐसे मामलों पर वेंडर के साथ समन्वय करने सहित पूरी जिम्मेदारी निगमित कार्यालय / क्षेत्रीय कार्यालय के

संबंधित विभाग की होगी। इस संबंध में यह सलाह दी जाती है कि आईटी प्रोजेक्ट्स का सुचारू रूप से प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए वेंडर के साथ बातचीत करते समय एमआईएस विभाग से भी संपर्क किया जाए।

9. इसके अतिरिक्त, ई – ऑफिस, डब्ल्यूएमएस, एचआरएमएस, टैली, आईसीडी/सीएफएस/आईसीपी साफ्टवेयर, सीसीटीवी आदि जैसे आईटी डोमेन के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु निगमित कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों के विभागों के जो भी सुझाव हों वे एमआईएस विभाग के माध्यम से दिए जाने चाहिए ताकि केंद्रीयकृत प्रबंधन तथा निर्बाध निगरानी की जा सके।

10. यह प्रबंध निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है जिसका सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए।

ANIL MANIK RAO
Digitally signed by ANIL MANIK RAO
Date: 2020.06.22 17:50:34 +05'30'

(ए. एम. राव)
समूह महाप्रबंधक (प्रणाली)

इस परिपत्र की विषय वस्तु को अपने अधीनस्थ कार्मिकों की जानकारी में लाने हेतु वितरण :

1. समस्त विभागाध्यक्ष, केंद्रीय भंडारण निगम, निगमित कार्यालय,नई दिल्ली।
2. सभी क्षेत्रीय प्रबंधक, केंद्रीय भंडारण निगम, क्षेत्रीय कार्यालय।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. प्रबंध निदेशक के वरिष्ठ निजी सहायक/निदेशक (वित्त) के व.स.प्र./निदेशक (कार्मिक) के निजी सचिव, केंद्रीय भंडारण निगम, निगमित कार्यालय,नई दिल्ली।
2. एमआईएस विभाग, केंद्रीय भंडारण निगम, निगमित कार्यालय,नई दिल्ली को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)
4/1 Siri Institutional Area, Hauz Khas, August Kranti Marg, New Delhi-110016
Email:warehouse@nic.inTel:26602576,26566107

No: - CWC/MIS-WMS (Rollout)/2017-18/ Date: 16-06-2020

CIRCULAR

1. The Corporation, in line with Management's vision and Ministry's directions of complete digitization, is expanding its operations far and wide in the IT domain. With a gamut of IT projects viz e-Office, WMS, HRMS, Tally, ICD/CFS/ICP software, CCTV etc., all operations of the Corporation are getting updated and improved on a regular basis, and are rapidly getting digitized across warehouses and Regional Offices PAN India, including CO.

2. Embracing IT is the need of the hour, wherein IT enhancement gives an edge in the current scenario of Digitization. IT is not only a must for operational efficiency but it also boosts the decision-making process for any company and assists in quickly reacting to the ever-changing dynamics of the market and global trends to succeed.

3. Ministry has been closely monitoring the implementation of IT projects of the Corporation, so much so that a WMS dashboard has been provided to the Secretary, Department of Food and Public Distribution. The dashboard gives a live status of central-pool stock stored in the warehouses PAN India. Thus, regular online usage of all softwares is essential.

4. Timely implementation and usage of IT projects is, thus, most necessary in order to compete in the current digital global arena and retain the mark of the Corporation as a leader in the warehousing and PCS fields.

5. However, it has come to our notice that Divisions at CO/ROs are intruding in IT domain viz e-Office, WMS, HRMS, Tally, ICD/CFS/ICP software, CCTV etc., even, without the consent/vetting of MIS Division and issuing instructions to the vendors on matters related to IT.

6. It has also been observed that Divisions at CO/ROs bypass MIS Division, which is a wrong practice and may lead to complications/delay in implementation of IT projects.

7. Thus, in the interest of Corporation, these practice should be stopped forthwith and all the stakeholders i.e. Divisions at CO/ROs must be in sync with each other for ensuring smooth IT implementation, which is the need of the hour.

8. However, matters pertaining to installation, payment terms, liquidated damages etc. which don't require technical vetting/approval and related to CCTV Surveillance System, ICD/CFS, ICP software, ELWB AMC and integration with WMS, laptop, internet, computer consumables etc. being implemented/done at warehouses/RO, be undertaken by concerned Divisions at CO/ROs, including coordination with vendors on such matters. In this regard, it is advised to keep MIS Division in loop of such communication with the vendor, thereby ensuring smooth operations of the IT projects.

ANIL MANIK RAO
Digitally signed by ANIL MANIK RAO
Date: 2020.06.16 10:30:46 +05'30'

9. Further, any suggestions of the Divisions at CO/ROs for augmenting the IT domain viz e-Office, WMS, HRMS, Tally, ICD/CFS/ICP software, CCTV etc., should be routed to MIS Division only for centralized management and hassle-free monitoring.

10. This is issued with the approval of Managing Director, for strict compliance.

ANIL MANIK RAO Digitally signed by ANIL MANIK RAO Date: 2020.06.16 10:30:17 +05'30'

GGM (System)

Distribution with a request to bring the content of the circular to the concerned officials under their control:

1. HoDs, CWC, CO, New Delhi.
2. RMs, CWC, ROs.

Copy for information please:

1. Sr. PA to MD/ SAM to Dir. (Fin.)/ PS to Dir. (Pers.), CWC, CO, New Delhi.
2. MIS Division, CWC, CO, New Delhi, for arranging to upload on CWC's website.